

	<p>केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX हैदराबाद जी.एस.टी आयुक्तालय काडर नियंत्रण प्राधिकारी, CADRE CONTROLLING AUTHORITY HYDERABAD GST COMMISSIONERATE जीएसटी भवन, एलबी स्टेडियम रोड, बशीरबाग, हैदराबाद-500004 GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEERBAGH, HYDERABAD-500004 Phone No.040-23241117 / 23240725 Fax No. 040-23299204 e-mail:cgst.hydcommr@gov.in; cgst.hydcca@gov.in</p>	 <p>आज़ादी का अमृत महोत्सव</p>
---	--	---

C.No. II/3/3/2024-Estt.(CCA)

Date : 06.06.2024

स्थापना आदेश (रा०प०) सं. 62/2024
ESTABLISHMENT ORDER (G.O.)No.62/2024

विषय : स्थापना - केंद्रीय कर & सीमा शुल्क अधीक्षक वर्ग 'ख' (राजपत्रित) के संवर्ग में पदोन्नति- संबंधित

Sub: - Estt. - Promotions to the Cadre of Superintendent of Central Tax & Customs, Group 'B' (Gazetted) on regular basis -Reg.

* * * * *

फाइल सं .ए. 32022/110/2019-एड.IIIA दिनांक 10.01.2024 में जारी बोर्ड के निर्देशों के परिणामस्वरूप और दिनांक 04.06.2024 को आयोजित समीक्षा डीपीसी की सिफारिशों के अनुसार, हैदराबाद/ विशाखपट्टणम क्षेत्र के साझा संवर्ग में केंद्रीय कर और सीमा शुल्क के निम्नलिखित निरीक्षकों को नियमित आधार पर और स्थानस्थ आधार पर 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स (पीवी-2 रुपये 4800 के ग्रेड वेतन के साथ रुपये 9300-34800 का पूर्व-संशोधित वेतनमान) के अनुसार लेवल-8 में रुपये 47600-151100 के वेतनमान में अधिकारी के नाम के सामने उल्लिखित तिथि से केंद्रीय कर और सीमा शुल्क के अधीक्षक, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के संवर्ग में कल्पित आधार पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक पदोन्नत किया जाता है ।

Consequent to the Board directions issued in F.No.A.32022/110/2019-Ad.IIIA dated 10.01.2024 and as per the recommendations of the review DPC held on 04.06.2024, the following Inspectors of Central Tax & Customs in the common cadre of Hyderabad/Visakhapatnam Zone are **promoted on notional basis to the cadre of Superintendent** of Central Tax & Customs, Group 'B' (Gazetted) **on Regular basis** and on **in-situ basis** from the date mentioned against the name of the officer in the pay scale of Rs. 47600-151100 in Level-8 as per 7th CPC pay matrix (pre-revised scale of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4800/- PB-2), with immediate effect and until further orders.

क्र सं SL. NO.	अधिकारी का नाम NAME OF THE OFFICER सुश्री /श्री / श्रीमती (S/SHRI/SMT.)	श्रेणी CATEGORY	जन्म तिथि DATE OF BIRTH	वर्तमान तैनाती PRESENT PLACE OF POSTING	कल्पित पदोन्नति की तिथि DATE OF NOTIONAL PROMOTION
01	Pradeep Kumar	UR	10.04.1988	CPC, Vijayawada	14.08.2021
02	Manjeet Kumar	UR	21.05.1989	Visakhapatnam GST	01.09.2021
03	Paramjeet	UR	04.07.1989	CPC, Vijayawada	01.09.2021
04	Manish Kumar Sharma	UR	25.06.1986	CPC, Vijayawada	01.01.2022
05	Vineet Vats	UR	01.11.1988	CPC, Vijayawada	01.05.2022
06	Jitender Kumar	UR	04.03.1990	CPC, Vijayawada	02.05.2022
07	Sushil Kumar	UR	10.10.1986	Guntur GST	01.06.2022
08	Sonu Kumar	OBC	01.01.1990	Guntur(Audit)	03.11.2022

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति किसी न्यायिक मंचों के समक्ष लंबित विभिन्न मुकदमों के (यदि कोई हो) परिणाम के अधीन होगी।

The promotion of above officers will be subject to the outcome of court cases, if any, pending before any judicial fora.

N

3. पदोन्नति के वास्तविक वित्तीय लाभ अधिकारियों को उस तिथि से स्वीकार्य होंगे, जिस तिथि को वे नियमित आधार पर पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

The actual financial benefits of promotion will be admissible to them with effect from the date they actually assume charge of the promoted posts on regular basis.

4. उपर्युक्त अधिकारियों का वेतन निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प प्राप्त करने के पश्चात काल्पनिक पदोन्नति की तिथि से एफ आर 22(I)a(1) के अनुसार निर्धारित किया जाए। तथापि, केन्द्रीय कर एवं सीमा शुल्क के अधीक्षक के संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि तक कोई बकाया देय नहीं होगा।

The pay of the above mentioned officers may be fixed as per F.R.22 (I)a(1) from the date of notional promotion, after obtaining the Option within the prescribed period. However, no arrears shall be payable till the actual date of joining in the cadre of Superintendent of Central Tax & Customs.

5. जो अधिकारी वर्तमान में अन्य फार्मेशनों में प्रतिनियुक्ति/ ऋण के आधार पर हैं और अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर अधीक्षक के पद को स्वीकार करने की अपनी स्वीकृति ई-मेल (cgst.hydcga@gov.in) पर प्रस्तुत करें। अधिकारियों को 28.06.2024 को या उससे पहले अपने मूल सीसीए/मुख्य आयुक्त कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा।

The officers who are presently on deputation/loan basis to other formations and desire to avail promotion in the cadre of Superintendent are directed to furnish their willingness to accept the post of Superintendent within seven working days from the date of issue of this order, on e-mail (cgst.hydcga@gov.in). Such officers will have to report to their parent CCA/Chief Commissioner's Office **on or before 28.06.2024**.

6. विशाखपट्टणम क्षेत्र के मुख्य आयुक्त से अनुरोध है कि वे विशाखपट्टणम क्षेत्र से पदोन्नत अधिकारियों को विशिष्ट तैनाती जारी करें।

The Chief Commissioner, Visakhapatnam Zone is requested to issue specific posting to the officers promoted from Visakhapatnam Zone.

7. विशाखपट्टणम क्षेत्र के आयुक्तालयों में अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने और आगे की विशिष्ट तैनाती की अनुपालन रिपोर्ट 01.07.2024 तक संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, हैदराबाद को भेजी जाए।

Compliance report about the assumption of charge of the officers and further specific postings in the Commissionerates of Visakhapatnam Zone should be sent to CCA, Hyderabad latest by **01.07.2024**.

8. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण ही अविभावी होगा।
In case of any ambiguity English version will prevail.

9. यह प्रधान आयुक्त, सं.नि.प्रा., हैदराबाद के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Principal Commissioner, CCA, Hyderabad.

(बी. रघु किरण)

(B. RAGHU KIRAN)

अपर आयुक्त (का. नि. प्रा)

ADDITIONAL COMMISSIONER (CCA)

प्रति To

संबन्धित व्यक्ति को The Individuals

(संबन्धित अधिकारी के माध्यम से Through the officer concerned)

प्रतिलिप Copy submitted to :

1) मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय कर, जीएसटी, हैदराबाद/ विशाखपट्टणम क्षेत्र.

The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, GST, Hyderabad Zone/
Visakhapatnam Zone.

2) सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय कर, हैदराबाद और विशाखपट्टणम क्षेत्र।

All the Principal Commissioners/ Commissioners of Customs & Central Tax,
Hyderabad & Visakhapatnam Zone.

- 3) अपर महानिदेशक, डीजीजीआई/डीजीआरआई/डीजी (सतर्कता) / डीजी (लेखापरीक्षा)/ डीजीपीएम, हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई, हैदराबाद।
The Additional Director General, DGGI/DRI/DG(V)/DG (Audit)/DGPM, Hyderabad Zonal Unit, Hyderabad.
- 4) अपर महानिदेशक, नासिन, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद।
The Additional Director General, NACIN, Hyderabad Zonal Training Institute, Hyderabad.

प्रतिलिप Copy to:

- 1) सभी मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं भुगतान अधिकारी, सीमा शुल्क और केन्द्रीय कर, हैदराबाद और विशाखपट्टनम क्षेत्र।
All the CAO/PAO, Customs & Central Tax, Hyderabad & Visakhapatnam Zone.
- 2) महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, वर्ग 'ख' राजपत्रित (कार्यपालक) अधिकारी-संगठन, हैदराबाद क्षेत्र।
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Group 'B' Gazetted (Executive) Officers' Association, Hyderabad Zone.
- 3) महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, वर्ग 'ख' गैर-राजपत्रित (कार्यपालक) अधिकारी-संगठन, हैदराबाद क्षेत्र।
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Group 'B' Non-Gazetted (Executive) Officers' Association, Hyderabad Zone.
- 4) महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, अनु. जा. /अनु. जन. कर्मचारी कल्याण संगठन, हैदराबाद क्षेत्र।
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, SC /ST Employees Welfare Association, Hyderabad Zone.
- 5) अधीक्षक, कंप्यूटर अनुभाग, सीसीओ, हैदराबाद क्षेत्र को क्षेत्रीय वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।
The Superintendent, Computer Section, CCO, Hyderabad Zone for uploading in the Zonal Website.
- 6) सूचना बोर्ड /स्टॉक फ़ाइल Notice Board / Stock File.



(बी. रघु किरण)

(B. RAGHU KIRAN)

अपर आयुक्त (सं. नि. प्रा)

ADDITIONAL COMMISSIONER (CCA)

